

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ दण्डिक विविध याचिका संख्या-3575 / 2017

आदेश दिनांक:-

01.04.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

अधिवक्ता वास्ते याची	:- श्री प्रशांत चाहर
विद्वान लोक अभियोजक	:- श्री अतुल शर्मा
अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी	:-

प्रत्यर्थी संख्या-2 को नये सिरे से नोटिस दो सप्ताह की वापसी के लिए जारी किए जावें । योग्य अधिवक्ता याची इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करें ।

पत्रावली दो सप्ताह बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे तब तक अन्तरिम आदेश यदि कोई हो तो वह प्रभावी रहेगा ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)